23.5.2017

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट नीमाणा में प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण में से प्रार्थी सं. 1 लालाराम पुत्र केसाजी व प्रार्थी सं. 5 कोली बेवा केसाजी उपस्थित हैं। दोनों प्रार्थीगण ने अपनी जाति भील होना बताया। उन्होंने बताया कि सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में जाति का उल्लेख नहीं है तथा जमाबन्दी में भारी जाति गरासिया दर्ज है जो कि प्रतिपूर्ण है। उन्होंने दरखास्त की है कि भारी जाति भील दर्ज किया जाना उचित है। सरपंच नीमाणा श्री सोमा गरासिया ने प्रमाण पत्र जारी कर प्रार्थीगण की जाति भील बताई है तथा पहचान प्रमाण पत्र में वर्णित अनुसार जाति सही।

R.T.I.
कोली बेवा केसाजी
प्रार्थी सं. 5

R.T.I.
लालाराम पुत्र केसाजी
प्रार्थी सं. 1

राम बनाम सरकार - 08/2016

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
रूप में गोत एवं धरेला उल्लेख किया है। तहसीलदार बाली ने रेकार्ड धारा के आधार पर प्रार्थीगण की जाति घांची की अनुशंषा की है। तहसीलदार बाली की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार उक्त त्रुटि द्वितीय भू प्रबन्ध के दौरान हुई है जिसे संशोधन कर प्रार्थीगण की जाति गोत एवं करना उचित है। आज दिनांक सुनवाई के दौरान प्रार्थीगण 1 व 4 उपस्थित है जो कि केसाजी के कायम मुकाम है अतः यह निर्विवाद तथ्य है कि प्रार्थीगण 1 से 4 की जाति एक ही है क्योंकि एक ही व्यक्ति के कायम मुकाम है।	
प्रार्थीगण 5 व 6 अनुपस्थित है। उनके बारे में भी सरपंच चोपाना एवं तहसीलदार बाली ने जाति गोत सही करने की अनुशंषा की है।	
प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा के राजस्व विविध प्रकरण 30/2016 के निर्णय दिनांक 14.3.2016 की प्रति प्रस्तुत की है जो कि इसी पत्र/प्रार्थना के अंकित खसरों के बारे में ही है। इस निर्णय के अनुसार इस खसरे के खातेदार तोपाराम पुत्र रूपाजी की जाति गरासिया से घांची संशोधित की गई है। द्वितीय बन्दोबस्त में उक्त त्रुटि अंकित होना दर्शित किया है।	
हमने इस पत्रावली पर मनन व विचार किया तथा उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया [illegible] जिससे प्रथमदृष्टया प्रकरण	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
21	उचित होना चाहिए है। रेकॉर्ड के मिलान से मुताबिक जमाबंदी सेवद अलोगी संवत् 2027 से 2030 तक खाता संख्या 443 जमाबंदी दत्ता से दर्ज भील होना चाहिए है। अतः प्रकरण में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों में विरोधाभास था अतः जांच आवश्यक होना चाहिए नहीं है। प्रार्थीगण की जाति गरासिया से भील दर्ज किए जाने का किसी प्रकार का 42 B, 175, 183-B R.T.A. के प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है क्योंकि गरासिया एवं भील दोनों जाति संवैधानिक आदेश के अनुसार अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग में है। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाता है। तहसीलदार आबूरोड को आदेशित किया जाता है कि जमाबंदी संवत् 2072-2075 खाता नवीन 29 खाता पुराना 101 के खसरा 2818, 2820 से 2835, 2837 से 2840, 2891 से 2895 मौजा गौतमपुरा में प्रार्थीगण लालाराम, रणाराम पुत्र कैसाजी, धोली बेवा कैसाजी, हेली पुत्री कैसाजी, नेरथी पुत्री कलाजी, गोमी पुत्री कलाजी की जाति गरासिया के स्थान पर भील जाति दर्ज की जावें शेष इन्द्राज बदस्तूर रहे। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया। पालनार्थ आदेश की प्रति प्रेषित हो। (हस्ताक्षर) उप-खण्ड अधिकारी, आबू

Scanned by CamScanner